


फर्द अहकाम

तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
	<p><u>26-08-25</u> पत्रावली पेश हुई। वकील ऊपपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अपलोकन करने पर शर्धीगण का शर्धीना फा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। पत्रावली बड तरीके तकमील होकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय लिया गया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (सुनीलकुमार चौहान) RAS. </p>	